न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 07 / 2021

हीरा सिंह पुत्र हुकम सिंह ग्राम व पोस्ट डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

बनाम

उप कोषाधिकारी,नदबई ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 02.02.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हीरा सिंह पुत्र हुकम सिंह ग्राम व पोस्ट डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2020 उप कोषाधिकारी,नदबई से सूचना चाही गई थी। उप कोषाधिकारी,नदबई द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 52 दिनांक 14.01.2021 के द्वारा उप कोषाधिकारी,नदबई से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उप कोषाधिकारी, नदबई से उनके पत्र कमांक / 336 दिनांक 21.01.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उप कोषाधिकारी, नदबई ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उप कोषाधिकारी, नदबई से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उप कोषाधिकारी,नदबई से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 336 दिनांक 21.01.2021 का अवलोकन किया गया। उप कोषाधिकारी,नदबई ने अपने जबाव में अंकित किया है कि वर्तमान में संचालित उपकोष कार्यालय नदबई की स्थापना दिनांक 01.02.1989 को हुई है । अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं कार्यालय की स्थापना से पूर्व की होने से तत्समय का कोई रिकार्ड संधारित नहीं है। इस कारण उप कोषाधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है । इस बावत उप कोषाधिकारी नदबई [illegible] को पत्रांक 207 दिनांक 08.10.2020 से अपीलान्ट को भी सूचित किया गया है, जिसकी प्रति अपने जबाव के साथ संलग्न की है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि उप कोषाधिकारी नदबई द्वारा सूचना के सम्बन्ध में अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपीलान्ट [illegible]त

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

कार्यालय से वांछित सूचना लेने हेतु कार्यवाही करे। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उप कोषाधिकारी,नदबई से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उप कोषाधिकारी,नदबई को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested